न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम

नोखा थाना काण्ड सं. 192/2019

बैरिष्टर चौधरी एवं एक अन्य
बनाम
बिहार सरकार
धारा 438 द.प्र.संहिता

28.09.2020 आवेदकगण क्रमशः बैरिष्टर चौधरी की ओर से दिनांक 12.03.2020 एवं अजय चौधरी उर्फ अजय कुमार की ओर से दिनांक 18.03.2020 को पृथक–पृथक रूप से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता पर सुनिवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदकगण क्रमशः बैरिष्टर चौधरी एवं अजय चौधरी उर्फ अजय कुमार की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि इस वाद के सूचक द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित करते हुए नोखा थाना काण्ड सं. 192/2019 के रूप में प्राथमिकी दिनांक 14.09.2020 को दर्ज कराया गया है जिसमें आवेदकगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त नहीं है, लकिन पुलिस द्वारा आवेदकगण को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस गिरफ्तारी के भय से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता में दाखिल किया गया है तथा अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर सिंह को दी गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक संतोष कुमार पाठक अ.नि.म.निषेध सदर अंचल रोहतास के द्वारा थानाध्यक्ष नोखा के समक्ष दिनांक 14.09.2019 को दिये गये स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 14.09.2019को संध्या 05.00 एस.आई.टी. रोहतास से प्राप्त गुप्ता सूचना के आधार पर सूचक अपने वरीय पदाधिकारी निरीक्षक मद्य निषेध सदर क्षेत्र रोहतास एवं सहयोगी पुलस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों के साथ बरांव रेलवे गुमटी ग्राम हथनी बरांव थाना नोखा जिला रोहतास में महिन्द्रा स्कॉर्पियों रजि.नं. यू.पी. 65ए.वाई–4444 तथा छः चक्का ट्रक रजि.नं. बी.आर.47जी.–0063 को रोक कर तलाशी के नियमों का विधिवत पालन करते हुये तलाशी लेने पर महेन्द्रा स्कॉर्पियों रजि. यू.पी. 65ए.वाई–4444 के पिछले हिस्से का तलाशी लेने पर सात कार्टुन में क्रेजी रोमियों व्हिस्की प्रत्येक 180एम.एल.का 48बोतल जिसकी कुल मात्रा 60. 480लीटर बरामद किया गया। उक्त वाहन के चालक कमलेश चौधरी के कब्जा से 25,000 रूपया जिनमें 100रूपया का 100 नोट तथा 200रूपया का 75 नोट तथा Andnroid Phone एवं की पैड फोन उजले रंग का मोबाईल बरामद हुआ जिसमें Andnroid Phone में अंविष्ट सीम नं.9304560081 तथा कीपैड मोबाइल में सीम नं.9955082991 बरामद किया गया तथा छः चक्का ट्रक रजि.नं. बी.आर.47जी.–0063 का तलाशी लेने पर उसपर लदा हुआ कुल 210 कार्टुन विदेशी शराब क्रेजी रोमियों प्रत्येक कार्टुन में 180एम.एल. का 48बोतल शराब जिसकी कुल मात्रा 1814.400 लीटर बरामद किया गया। ट्रक चालक हीरा चौधरी के कब्जा से एक काला रंग का सैमसंग कम्पनी का कीपैड वाला मोबाईल सेट जिसमें सीम नं. 7070155055 लगा हुआ तथा ट्रक उपचालक बबलु चौधरी के कब्जा से सैमसंग कम्पनी का Andnroid Phone फोन सीम नं. 6207951286 लगा हुआ बरामद किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त कमलेश चौधरी पिता राजनेती चौधरी, हीरा चौधरी पिता स्व. जगमोहन चौधरी एवं बबलु चौधरी पिता पारसनाथ चौधरी सभी सा. खण्डा वार्ड सं. 13 थाना सासाराम मुफ. जिला रोहतास को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा बरामद स्कॉर्पियों एवं ट्रक का विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया तथा सभी आवश्यक कार्यवाही घटना स्थल पूरी किया गया। तत्पश्चात आरोपित करते हुये यह काण्ड अंकित किया गया है।

आवेदकगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का पृथक–पृथक रूप से अभिकथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा घटना स्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। आवेदकगण को इस वाद में गांव की गंदी ग्रामीण रानजीति के कारण झूठा पुलिस को मेल में लेकर फंसाया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है तथा आरोपित आरोप आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है और आवेदकगण के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदकगण का कोई संबंध नहीं है। जब्ती सूची विधिपूर्वक तैयार नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदकगण का नाम इस वाद में सह अभियुक्त कमलेश चौधरी एवं हीरा चौधरी के संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है। आवेदकगण का जब्त स्कॉर्पियों सं. यू.पी.65ए. वाई–4444 से कोई संबंध नहीं है। पुलिस आवेदकगण को बिना किसी विधिक साक्ष्य के गिर फ्तार करना चाहती है जबकि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है और बिना किसी विधिक साक्ष्य के उसके विरूद्ध यह मामला लाया गया है। आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र देने

लगातार
28.0.2020 एवं धारा 438(2) द.प्र.संहिता के विहित शर्त्तों का अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम आवेदकगण की ओर से से दाखिल जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध मूल तथा पूरक वाद दैनिकी की छाया प्रति का सम्यक परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण अप्राथमिकी अभियुक्त हैं और इनके विरूद्ध 1814.400लीटर अवैध शराब बरामद किये जाने के व्यवसाय एवं परिवहन करने हेतु भण्डारण करने का आरोप है। मूल काण्ड दैनिकी की कंडिका 2 में जब्ती सूची को उल्लेखित किया गया है जिससे यह विदित होता है कि घटना के दिन व समय पर घटना स्थल से 1814.400लीटर अवैध शराब बरामद किया गया था जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा पूरे बिहार राज्य में शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी अवैध ढंग से शराब का व्यवसाय एवं उसका परिवहन किया जाता है। कंडिका 7 में वादी का पुनः बयान है तथा कंडिका 8 एंव 9 में अन्य जिन साक्षियों का बयान धारा 161द.प्र.संहिता के तहत अंकित किया गया है, सभी ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 12 में घटनास्थल तथा 50 में जब्त शराब का जांच प्रतिवेदन को उल्लेखित किया गया है। काण्ड के अनुसंधान द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान कार्य पूर्ण कर तथा अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध काण्ड का पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए आरोप पत्र धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत समर्पित किया गया है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है।

आवेदकगण इस वाद में अप्राथमिकी अभियुक्त है और इस वाद में उनका नाम सह अभियुक्त कमलेश चौधरी द्वारा वाद दैनिकी की कंडिका 17 में दिये संस्वीकारोक्ति बयान तथा सह अभियुक्त हीरा लाल चौधरी द्वारा वाद दैनिकी की कंडिका 18 में दिये गये संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी नोखा के पर्यवेक्षण टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत घटना को सत्य पाया गया है जिसका उल्लेख पूरक वाद दैनिकी की छाया प्रति की कंडिका 4 किया गया है तथा अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान का कार्य अभी जारी है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह दर्शाने में भी असफल रहे है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) में लगाये गये आरोप एवं अनुसंधानक द्वारा एकत्रित साक्ष्य से आवेदकगण के विरूद्ध कथित अपराध सृजन हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों, वाद की प्रकृति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद अवैध शराब की मात्रा (1814.400) तथा अनुसंधानक द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्य एवं बिहार राज्य में लागू पूर्ण शराब बंदी कानून पर विचार करने तथा उत्पाद अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिये धारा 76(2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर विचार करते हुये यह न्यायालय आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तद्नुसार आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 12.03..2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम